

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में

टिप्पणी, तारीख के साथ

1 न्यायालय, समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया  
मधुसूदन ओझा, पिता स्व० कैलाश ओझा, ग्राम-  
बरवाचाप, थाना चनपटिया, जिला पश्चिम चम्पारण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बेतिया सदर के द्वारा वाद संख्या 34/11-12 में दिनांक 06.01.2014 को पारित  
आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। सुनवाई के क्रम में विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस  
मामले को सक्षम स्तर पर दायर करने हेतु इस पुनरीक्षण आवेदन एवं दाखिल सत्यापित  
अन्य कागजात सहित वापस करने हेतु किया गया है। वे इस पुनरीक्षण आवेदन को  
वापस लेना चाहते हैं। अतः अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के  
आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए इस पुनरीक्षण आवेदन एवं दाखिल  
सभी सत्यापित कागजातों को वापस करने का आदेश दिया जाता है।

### आदेश

यह अपील आवेदन मधुसूदन ओझा, पिता- स्व० कैलाश ओझा, ग्राम-  
बरवाचाप, थाना चनपटिया, जिला पश्चिम चम्पारण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बेतिया सदर के द्वारा वाद संख्या 34/11-12 में दिनांक 06.01.2014 को पारित  
आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। सुनवाई के क्रम में विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस  
मामले को सक्षम स्तर पर दायर करने हेतु इस पुनरीक्षण आवेदन एवं दाखिल सत्यापित  
अन्य कागजात सहित वापस करने हेतु किया गया है। वे इस पुनरीक्षण आवेदन को  
वापस लेना चाहते हैं। अतः अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के  
आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए इस पुनरीक्षण आवेदन एवं दाखिल  
सभी सत्यापित कागजातों को वापस करने का आदेश दिया जाता है।

समाहर्ता  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया  
23/9/14

समाहर्ता  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया  
23/9/14

पश्चिम चम्पारण, बेतिया

23-09-2014